



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस ।

दिनांक – 21.11.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 21.11.2024 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी ।

चोरी के सामान व मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना सम्भल-

दिनांक 20.11.2024 को थाना सम्भल पर वादी फारूख पुत्र साबिर हुसैन निवासी मौ0 बेगम सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल की तहरीरी सूचना पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के ट्रक के 05 टायर व डीजल की चोरी के सम्बन्ध में थाना सम्भल पर मु0अ0सं0 329/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 21.11.2024 को थाना सम्भल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाजिदपुरम कोल्डस्टोर के पीछे बेगम सराय को जाने वाले रास्ते से अभियुक्त मौ0 फैसल पुत्र मौ0 फरमान निवासी बेगम सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल अपाचे रंग काला बरामद की गयी, मौके पर पूछने पर अभियुक्त की निशादेही पर मौ0 नाला चौधरी सराय कबाडे की दुकान से जहाँ पर चोरी के माल को खरीदने वाले अभियुक्त फुरकान पुत्र मुस्तीम निवासी मौ0 नाला चौधरी सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी का माल 03 ट्रक के टायर, 03 रिम, 01 ड्रम बरामद हुआ । अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मौ0 फैसल पुत्र मौ0 फरमान नि0 बेगम सराय थाना कोत0 सम्भल जिला सम्भल
3. फुरकान पुत्र मुस्तीम नि0 मौ0 नाला चौधरी सराय थाना कोत0 सम्भल जिला सम्भल

गिरफ्तारी का स्थान-

वाजिदपुरम कोल्डस्टोर के पीछे बेगम सराय को जाने वाले रास्ते व मौहल्ला नाला कबाडे की दुकान

बरामदगी

1. 03 ट्रक के टायर,
2. 03 ट्रक के रिम,
3. 01 ड्रम,
4. एक मोटरसाइकिल अपाचे ।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने अपने दोस्त नाजिम पुत्र राशिद निवासी चारामण्डी चौधरी सराय थाना सम्भल के साथ मिलकर दिनांक 15/16.11.2024 की रात्रि समय 1.50 बजे मौहल्ला बेगम सराय से ट्रक सख्या UP13AT1105 का शीशा तोडकर चोरी कर सिरसी टंकी के पास ले गये थे । सिरसी में मैंने तथा नाजिम ने मिलकर ट्रक के तीन रिम तीन टायर व एक ड्रम निकाल लिया रिम, टायर व ड्रम को रास्ते में आ रहे छोटा हाथी में 500 रूपये किराया देकर सम्भल ले आये तथा ट्रक को सिरसी में ही छोड दिया था । मैंने ट्रक के टायर, रिम व ड्रम को फुरकान पुत्र मुस्तीम निवासी मौ0 नाला चौधरी सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल को 5200/- रूपये में बेच दिया है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री अनुज कुमार तोमर थाना जनपद सम्भल,
2. उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना सम्भल जनपद सम्भल,
3. उ०नि० श्री राजपाल सिंह थाना सम्भल जनपद सम्भल,
4. है०का० 163 सुखवेन्द्र सिंह थाना सम्भल जनपद सम्भल,
5. का० 387 सौरभ थाना सम्भल जनपद सम्भल,
6. का० 671 कपिल कुमार थाना सम्भल जनपद सम्भल,
7. का० 141 सचिन कुमार थाना सम्भल जनपद सम्भल ।



01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना गुन्नौर-

दिनांक 26.10.2024 को थाना गुन्नौर पर वादिनी अनीता कुमारी उर्फ अल्का पत्नी राजू निवासी महमूदपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल की तहरीरी सूचना पर अभियुक्त नितिश कुमार उर्फ सिंटू जो तहसील में हल्का लेखपाल व कानूनगो के पास सहयोगी के रूप में कार्य करता है। अभियुक्त द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000/- रुपये लेना तथा वादिनी के साथ बलात्कार कर वीडियो बनाकर वायरल करने को धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गुन्नौर पर मु०अ०सं० 302/2024 धारा 316(2)/64/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 21.11.2024 को थाना गुन्नौर पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं० 302/2024 धारा 316(2)/64/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नितिश उर्फ सिंटू पुत्र अनिल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को अकबरपुर गोठना से गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिश उर्फ सिंटू पुत्र अनिल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री ओमप्रकाश गौतम थाना जुनावई जनपद सम्भल,
2. का० रजत शर्मा,
3. का० सुमित कुमार ।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार थाना कैलादेवी-

आज दिनांक 21.11.2024 को थाना कैलादेवी पुलिस टीम द्वारा मु०नं० 484/2023 धारा 125(3) सीआरपीसी में वारण्टी अभियुक्त श्रीपाल पुत्र रामौतार निवासी ग्राम भमौरी पट्टी थाना कैलादेवी जनपद सम्भल को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

श्रीपाल पुत्र रामौतार निवासी ग्राम भमौरी पट्टी थाना कैलादेवी जनपद सम्भल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री सतेन्द्र कुमार थाना कैलादेवी जनपद सम्भल,
2. का० दुष्यन्त कुमार ।

